जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में अतिथि प्रवक्ताओं का पैनल तैयार किये जाने हेतु आवेदन आमंत्रण।

शासन के पत्र संख्या–830/15–11–10 दिनांक 20.05.2010 के अनुपालन में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षिक संवर्ग में नियमित पदधारकों की नियुक्ति होने तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अर्हताधारी अतिथि प्रवक्ताओं का पैनल जनपद द्वारा अपनी विषयवार आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जाना है। इस हेतु एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित निम्नवत शैक्षिक तथा प्रशिक्षण योग्यताधारी इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों से उनके शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता सम्बन्धी विवरण आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त हेतु आवेदन पत्र दिनांक **18.06.2010** तक सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए।

शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता–

1. 55 प्रतिशत अंको सहित एम0एड0 अथवा 55 प्रतिशत अंको सहित शिक्षा शास्त्र में एम0ए0 के साथ 55 प्रतिशत अंको सहित शिक्षा में डिग्री (बी0एड0/एल0टी0)/प्रारम्भिक/प्राथमिक शिक्षक शिक्षा उपाधि/डिप्लोमा (यथा बी0टी0सी0/सी0टी0 (नर्सरी))

अथवा

2. 55 प्रतिशत अंको सहित किसी भी स्कूल शिक्षण विषय में स्नातकोत्तर के साथ 55 प्रतिशत अंको सहित शिक्षा में डिग्री(बी0एड0/एल0टी0)/प्रारम्भिक/प्राथमिक शिक्षक शिक्षा उपाधि/डिप्लोमा (यथा बी0टी0सी0/सी0टी0 (नर्सरी))

अथवा

3. ललित कला/संगीत/नृत्य में 55 प्रतिशत अंको सहित स्नातकोत्तर। शिक्षा में डिग्री (बी0एड0/एल0टी0)/डिप्लोमा (यथा बी0टी0सी0/सी0टी0 (नर्सरी)) को वरीयता।

वांछनीय–शैक्षिक प्रयोजनो के लिए आई0सी0टी0 की प्रयोग में दक्षता।

विषय की जानकारी तथा आवेदन पत्र का प्रारूप सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट **www.scertup.org** से डाउनलोड भी किया जा सकता है। पैनल हेतु अतिथि प्रवक्ताओं का चिन्हांकन हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा प्रशिक्षण परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर मैरिट के अनुसार किया जायेगा। उक्त योग्यताधारी पैनल में सेवानिवृत्त शिक्षकों को वरीयता दी जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथा आवश्यकता अतिथि प्रवक्ताओं को व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जायेगा। आमंत्रित किये जाने पर प्रति वादन (Period) रूपये 300/– (रूपये तीन सौ मात्र) मानदेय दिया जायेगा। एक दिन में एक अतिथि प्रवक्ता को अधिकतम दो वादन दिये जा सकते है। मानदेय की धनराशि एक माह में रूपये 12,000/–(रूपये बारह हजार मात्र) से अधिक नही होगी। अतिथि प्रवक्ता हेतु पैनल तैयार किये जाने की कार्यवाही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा की जायेगी।

सदस्य सचिव/प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।

ALL DATA MEENA/D/GUEST LECTURER/ Vigyapti

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में अतिथि प्रवक्ता के पैनल में सम्मिलित किये जाने हेतु शैक्षिक विवरण का प्रारूप

(शैक्षिक विवरण आवेदक द्वारा स्वयं साफ–साफ भरा जाय।)

आवेदक का पासपोर्ट साइज का स्वहस्ताक्षरित फोटो चिपकाया जाय। हस्ताक्षर इस प्रकार से किये जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग फोटो पर एवं आधा आवेदन पत्र पर हो।

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में)..

   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में)...

2. पिता का नाम (हिन्दी में)..

3. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार) तिथि ☐☐ माह ☐☐ वर्ष ☐☐☐☐

4. (अ) स्थायी पता (थाना सहित) ....

   ....

   (ब) पत्र व्यवहार का पता (थाना सहित) ....

   ....

   ....

   (स) ई–मेल आईडी ....

5. टेलीफोन नं0 यदि हो (एस0टी0डी0 कोड सहित)–..............................मोबाइल नं0 यदि हो..............................

6 शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता का विवरण–

परीक्षा	कॉलेज एवं बोर्ड या वि0वि0	वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक
हाईस्कूल					
इण्टरमीडिएट					
स्नातक					
स्नातकोत्तर					
प्रशिक्षण उपाधि					
विशेष योग्यता (यदि कोई हो)					

7 कार्यानुभव

संस्था का नाम, जहां आवेदक कार्यरत है/था	कार्यानुभव वाले पद का नाम	कार्यानुभव अवधि

8. यदि सेवानिवृत्त हों तो

संस्था का नाम, जहां से सेवानिवृत्त हुये है	पद का नाम, जिससे सेवानिवृत्त हुये हैं	सेवानिवृत्ति की तिथि

घोषणा

मैं शपथपूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि –

1. उपरोक्त विवरण सत्य है। कोई भी विवरण असत्य अथवा गलत पाये जाने पर मेरी पात्रता स्वतः निरस्त माना जायेगा।
2. उक्त विवरण से सम्बन्धित समस्त मूल अंकपत्र/मूल प्रमाण पत्र मेरे पास सुरक्षित हैं।
3. संस्थान द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार मुझे बुलाया जायेगा, तो मैं उपस्थित हो जाऊँगा/जाऊँगी, परन्तु संस्थान के किसी भी पद के प्रति मेरा कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

दिनांक – ....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर